15

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

जमाबन्दी/टाईटिल अपील सं0–01/2017–18

नरेश माल
बनाम
अदीन मल्लिक वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता नरेश माल, पिता–स्व0 रखाल माल, ग्राम–मरूआपहाड़ी, थाना–पाकुड (मु0) जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के RER वाद सं0–07/2012 में दिनांक–17.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में SPT Act 1949 की धारा (5) तथा 42 के तहत् उत्तरवादी को मौजा–मरूआपहाड़ी के जमाबंदी नं0–34 के दाग सं0–116 अन्तर्गत कुल रकवा 07–04–12 धुर जमीन में से आंशिक रकवा 03–12–06 धुर जमीन से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन पर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.01.2017 के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत बहस को सुना। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–मरूआपहाड़ी के जमाबंदी सं0–34, दाग सं0–116, कुल रकवा 07–04–12 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में सुकुल माल के नाम से दर्ज है। उक्त सुकुल माल के दो पुत्र रखाल माल एवं कुरहान माल हुए। उक्त रखाल माल के दो पुत्र नरेश माल (इस वाद के अपीलकर्त्ता) एवं नरेन माल हुए। खतियानी रैयत का दूसरा पुत्र कुरहान माल की मृत्यु नावल्द हो गई। कुरहान माल की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सारी सम्मति स्वाभाविक रूप से अपीलकर्त्ता एवं उसके भाई को विरासत में प्राप्त हुई। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ का जॉच प्रतिवेदन भी उक्त तथ्य का समर्थन करता है। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी आदीन मल्लिक का खतियानी रैयत से कोई संबंध नही है तथा वे एक बाहरी व्यक्ति है। उत्तरवादी द्वारा SPT Act 1949 की धारा 20 का उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत भूमि मौजा मरूआपहाड़ी के जमाबंदी सं0–34 के दाग सं0–116 अन्तर्गत कुल रकवा 07–04–06 धुर जमीन में से आंशित रकवा 03–12–06

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

धुर जमीन पर जबरन दखल कब्जा किया गया है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है अतः SPT Act 1949 की धारा 42 प्रभावी है तथा उक्त धारा के तहत् विपक्षी को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि से उत्तरवादी को उच्छेद (Evict) करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी के द्वारा दाखिल एक पोष्यपुत्र नामा के आधार पर उन्हें उच्छेद नही किया गया तथा पोस्यपुत्र नामा की वैद्धता को लेकर सक्षम न्यायालय की शरण में जाने संबंधी आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–17.01.2017 को पारित आदेश स्पष्ट नहीं है। SPT Act 1949 की धारा 20 (1) के अनुसार अविकयशील भूमि का हस्तांतरण Sale, Gift, will अथवा अन्य किसी Contract or agreement के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। उनका आगे कहना है कि जब अविकयशील भूमि का हस्तांतरण हो ही नही सकता तो कैसे किसी भी रूप में प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण को स्वीकार किया जा सकता है।

अपीलकर्त्ता का आगे कहना है कि उत्तरवादी के द्वारा अपने समर्थन में एक निबंधित पोष्यपुत्र नामा (Registered adoption deed) दाखिल किया गया है जो स्वयं में इसे अविश्वसनीय बनाता है, क्यों कि Adoption deed हमेशा Biological father तथा adopting father के बीच बनता है तथा Hindu Succession Act की धारा 16 के तहत् इसमें Biological father तथा adopting father की भौतिक रूप से उपस्थिति अनिवार्य (Mandatory) होती है। गोद लेने वाले बच्चे का giving and taking अनुष्ठान होना आवश्यक है। ऐसा नही होने पर संबंधित हस्तावेज की कोई वैधता नही होती है तथा इसे शून्य (Deemed as void) माना जाता है। उनका आगे कहना है कि उक्त निबंधित दस्तावेज में दो गवाह है के द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा उक्त adoption deed के निष्पादित होने पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट किया गया है। जिसके आधार पर उत्तरवादी के द्वारा उत्तराधिकारी होने का दावा किया जा रहा है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि गलत दस्तावेज के आधार पर उत्तरवादी को प्रश्नगत भूमि पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाना चाहिए। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा भी उत्तरवादी के adoption deed को सही नही पाया था तथा अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गई थी। जब निम्न न्यायालय द्वारा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

स्वयं उक्त adoption deed की वैधता को लेकर प्रश्न उठाया गया तब किस परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी के विरूद्ध उच्छेदी का आदेश पारित नहीं किया गया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि उत्तरवादी द्वारा वर्ष 2012 में बलपूर्वक प्रश्नगत जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उत्तरवादी न तो प्रश्नगत मौजा के जमाबंदी रैयत है और न ही वहॉ के निवासी है, वो बाहरी व्यक्ति हैं। उत्तरवादी द्वारा गलत/विर्निमित दस्तावेज के आधार पर दावा किया जा रहा है, जो गलत है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित जॉच प्रतिवेदन भी अपीलार्थी के पक्ष में है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि गोद लेने के बाद दत्तक पुत्र के नाम के साथ गोद लेने वाले पिता का उपनाम लगता है, परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं है। उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जो उनके बाहरी होने का ठोस प्रमाण है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Hindu Law Adoption से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय निर्णय की प्रति दाखिल किया गया जो BBCJ 1977 पृष्ठ सं0–555 से 558 में दर्ज होना बताया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए उत्तरवादी को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में सुकुल माल के नाम से दर्ज है। सुकुल माल के दो पुत्र रखाल माल तथा कुरहान माल हुए। कुरहान माल निःसंतान थे अतः उनके द्वारा उत्तरवादी को Registered deed के माध्यम से वर्ष 1987 में गोद लिया गया। उक्त Registered adoption deed के जरिए उत्तरवादी कुरहान माल के वैध उत्तराधिकारी बने एवं कुरहान माल की मृत्यु के बाद उनकी सारी सम्मपत्ति उत्तरवादी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा Registered deed को गलत बताया जा रहा है परन्तु अपीलार्थी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में उक्त Deed की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। उक्त adoption deed किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्ध नही किया गया है अतः यह वर्तमान में एक वैध दस्तावेज है। उत्तरवादी द्वारा इस मामले को Civil Nature का बताया गया तथा कहा गया कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादी की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपीलवाद दायर किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा बहस के दौरान यह भी बताया गया कि अपीलार्थी पहाडिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

जाति (अनुसूचित जनजाति) के नही है तथा वे अनुसूचित जाति के है।

उत्तरवादी के द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।

(1) इस वाद में विचारण का मुख्य बिन्दु deed of adoption की प्रभाविता है। क्योंकि इसी deed of adoption को गलत बताते हुए अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा किया जा रहा है तथा इसी दस्तावेज के आधार पर उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि पर दावा है। साथ ही यह भी विचारण का बिन्दु है कि क्या deed of adoption के जरिए उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि को SPT Act 1949 की धारा 20 (i) का उल्लंघन माना जाएगा।

(2) प्रथम बिन्दु के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा विस्तार में अपना पक्ष रखा गया है, परन्तु उनके द्वारा यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह न्यायालय Registered deed of adoption को SPT Act की किस धारा के तहत Null & Void कर सकती है। प्रश्नगत deed of adoption वर्ष 1987 में निष्पादित है। एक लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा इस दस्तावेज की वैधता को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। यदि चुनौती दी गई होती अथवा उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा रद्ध कर दिया गया होता तो निश्चित रूप से अपीलार्थी तदसंबंधी कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते, परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। चुँकि उक्त deed का cancillation नही हुआ है अतः वह वर्तमान में प्रभावी है। अपीलार्थी द्वारा इस deed की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसपर निर्णय पारित करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है।

(3) SPT Act 1949 की धारा 20(i) का उदाहरण निम्नवत् है :–

"No tranafer by a raiyat of his right in his holding or any portion thereof by sale, gift, mortgage, will, lease or any other contract or agreement, express or implied, shall be valid unless the right to transfer has been recored in the record of rights, and then only to the extent to which such right is so recored."

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उक्त धारा record of right के अनुसार एवं उसी हद तक हस्तांतरण की अनुमति देता है, जिस हद तक record of right में अनुमति है। सामान्य रूप में यह भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगती है, जबतक कि record of right में इसका उल्लेख न हो। परन्तु उक्त धारा 20 (i) या धारा 20 की अन्य उप धारा किसी भी प्रकार से उत्तराधिकार में भूमि की प्राप्ति पर रोक नही लगाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि को अविकयशील भूमि का अवैध हस्तांतरण मानते हुए उक्त धारा 20 (i) का उल्लंधन नहीं माना जा सकता है।

(4) The Indian Adpotions And Maintenance Act 1956 की धारा 12 में Effect of Adoptions के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है। उक्त धारा 12 का उद्धहरण निम्नवत् है –

12. Effect of Adoptions- An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of the adoption and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family.

Provided that-

(a) the child can not marry any person whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth;

(b) any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligation, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth;

(c) the adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption.

उक्त धारा से स्पष्ट है कि deed of adoption के जरिए गोद लिया जाने वाला बच्चा कानूनी रूप से पुत्र की हैसियत रखता है एवं सम्पत्ति पर उत्तराधिकार के आधार पर समान अधिकार रखता है।

(5) प्रश्नगत मामले में प्रश्नगत registered deed of adoption वर्तमान में प्रभावकारी है अतः उत्तराधिकार का उनका दावा उचित है।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारित/अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। 30.12.2020 उ पा यु क्त, पाकुड़। लेखापित एवं संशोधित। 30.12.2020 उपायुक्त, पाकुड़।	26/03 25.3.2021

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.10.13 15:44:41 +05:30
Location: 192.168.1.101